I/3011589/2023

N-35018/28/2022-O/o AD (CRS)
Government of India
Ministry of Information and Broadcasting

CRS Cell, Room. No. - 116,
A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: - 16th August, 2023

GENERAL INSTRUCTIONS

All the organizations applying for setting up Community Radio Stations (CRS) should adhere to the below given principles to get their application considered by the Ministry of I&B.

(i) As per the policy guidelines for setting up CRS;

1.(a) It should be explicitly constituted as a 'non-profit' organization and should have a proven record of at least three years of service to the local community.

The educational institutions applying for CRS must certify that the institute is not for profit. In this regard the educational institution should submit a certificate **in its name** issued by public authority. The not-for profit certificate in favour of educational institution issued in the name of parent organization is not acceptable. For example, if an educational institution 'xyz' gives certificate of not-for profit in the name of its parent organization 'abc' then the application will not be considered eligible. However, the 'abc' may apply in its name for setting up CRS.

(ii) As per the policy guidelines for setting up CRS;

1.(c) It should have an ownership and management structure that is reflective of the community that the CRS seeks to serve.

In pursuance of the above, the applicant organization, before making any application for setting up of CRS shall ensure that the governing body members of the applicant organization should not be blood relatives/members of the family. A certificate to this affect may be attached with the application while uploading the form on the *https://new.broadcastseva.gov.in/* portal.

(iii) The **Self Declaration for organization and authorized signatory and all governing body member/trustee for whom security clearance is sought (Annexure-II)** should be completely filled in by the applicant organization and no column should be left vacant.

Signed by
Gaurishankar Kesarwani
Date: 16-08-2023 13:29:25

(Gaurishankar Kesarwani)
Additional Director (CRS Cell)
Tel. No. 011-23386547
Email-gs.kesarwani.pb@nic.in

Generated from eOffice by Sonali Acharya, ASO(SA)-O/o AD (CRS), ASO, MIB on 16/08/2023 01:57 PM

एन-35018/28/2022-अतिरिक्त निदेशक का कार्यालय (सीआरएस)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

****

सीआरएस सेल, कमरा सं. 116,

ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 16 अगस्त, 2023

<u>सामान्य निर्देश</u>

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने हेतु आवेदन करने वाले सभी संगठनों के लिए नीचे दिए गए सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनके आवेदन पर विचार किया जा सके:-

i. सीआरएस की स्थापना संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार;

1.(क) इसे स्पष्ट रूप से एक 'गैर-लाभअर्जक' संगठन के रूप में गठित किया जाना चाहिए और इसका स्थानीय समुदाय के लिए निष्पादित कार्य का कम से कम तीन साल का रिकॉर्ड होना चाहिए।

सीआरएस के लिए आवेदन करने वाले शिक्षण संस्थानों को यह प्रमाणित करना होगा कि यह संस्थान लाभ-अर्जन के लिए नहीं है। इस संबंध में शिक्षण संस्थान को लोक प्राधिकारी द्वारा संस्थान के नाम से जारी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। मूल संगठन के नाम पर जारी गैर-लाभअर्जक प्रमाणपत्र शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में स्वीकार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शैक्षणिक संस्थान 'एक्सवाईजेड' अपने मूल संगठन 'एबीसी' के नाम पर गैर-लाभअर्जक प्रमाणपत्र देता है तो

आवेदन पर विचार के लिए इसे पात्र नहीं माना जाएगा। तथापि, सीआरएस की स्थापना के लिए 'एबीसी' अपने नाम पर आवेदन कर सकता है।

ii. सीआरएस की स्थापना संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार;

1.(ग) इसमें एक स्वामित्व और प्रबंधन संरचना होनी चाहिए जो उस समुदाय को प्रतिबिंबित करती हो जिसे सीआरएस सेवा प्रदान करना चाहता है।

उपरोक्त के अनुसरण में, आवेदक संगठन, सीआरएस की स्थापना के लिए कोई भी आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक संगठन के शासी निकाय के सदस्य सगे रिश्तेदार/परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए। *https://new.broadcastseva.gov.in/* पोर्टल पर फॉर्म अपलोड करते समय इस आशय का एक प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

iii. **संगठन और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सभी शासी निकाय सदस्य/न्यासी जिनके लिए सुरक्षा निकासी मांगी गई है, के लिए स्व-घोषणा पत्र को (अनुलग्नक-II)** आवेदक संगठन द्वारा पूरी तरह से भरा जाना चाहिए और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

23/8/2023

(गौरीशंकर केसरवानी)
अतिरिक्त निदेशक (सीआरएस सेल)
दूरभाष: 011-23386547
ईमेल-gs.kesarvani.pb@nic.in